प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021

4/10/2024 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम महादेव पुत्र खेता दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। प्रार्थी के पिता का सही नाम माधाराम पुत्र खेताराम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम महादेव पुत्र खेता गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, की प्रतियां पेश की जिनमे प्रार्थी के पिता का सही नाम माधाराम पुत्र खेताराम है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता खातेदार का नाम महादेव पुत्र खेता गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी के पिता का सही नाम माधाराम पुत्र खेताराम है की पुष्टि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
मावण्डा कलां	खाता सं0 244	महादेव पुत्र खेता	माधाराम पुत्र खेताराम
	खाता सं0 128	महादेव [illegible] खेता	माधाराम पुत्र खेताराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:46:15 IST
Reason: SelfAttested

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पालना बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner